न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

मिसल नम्बर - 35/23

राजेंद्र उर्फ राजू आत्मज ग्यारसीलाल जाति माली निवासी रायपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितिः—वादी अधिवक्ता श्री मुकेश खारोल

निर्णय

दिनांक 6/12/24

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टीनेंसी एक्ट)

वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राज0 टीनेंसी एक्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कंसुवा पटवार हल्का रायपुरा, भू0 अभिलेख निरीक्षक लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 3 किता की 0—71 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी 2069—72 पेश है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में वादी के पिता ग्यारसी लाल व तीजू के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। तीजू व ग्यारसीलाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी व उसके भाई—बहिन व माता के नाम शामलाती खाते में दर्ज हुई, किन्तु नामान्तरकरण खोलते समय वादी का नाम राजेंद्र के स्थान पर राजू अंकित कर दिए जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजू आ0 ग्यारसीलाल दर्ज हो गया है, जो गलत है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि राजू उर्फ राजेंद्र दोनों एक ही व्यक्ति है। मौके पर उपस्थित गवाहों द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतया सही व सत्य है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौराने बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजू उर्फ राजेंद्र दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्टया ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कंसुवा पटवार हल्का रायपुरा, भू0 अभिलेख निरीक्षक लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल किता 3 की 0—71 है0 भूमि के राजस्व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

रिकॉर्ड में राजू पुत्र ग्यारसीलाल के स्थान पर राजेंद्र उर्फ राजु पुत्र ग्यारसीलाल दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक.....06/12/24.....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा